

समाचार संक्षेप

रिलायंस कम्युनिकेशन से वसूले 14 करोड़ रूपए

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की खुफिया विंग ने रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी से 14 करोड़ रूपए की वसूली की है। दरअसल मध्यप्रदेश में जीएसटी की खुफिया विंग ने रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी को जीएसटी का डिफ़रेंस पाया है। छानबीन के बाद 14 करोड़ रूपए की टैक्स चोरी और उस पर ब्याज का नोटिस मिलने के बाद कंपनी यह राशि भरने को सहमत हो गई। लेकिन आर्थिक संकट बताते हुए एक महीने की मोहलत मांगी है। जीएसटी खुफिया विंग ने भोपाल की एक और कंपनी पेटांगन टेक्नोलॉजी को कम टैक्स देने का दोषी पाया है। पांच बैंक बनाने वाली इस कंपनी को 28 फ़ीसदी जीएसटी देना था लेकिन उसने 18 फ़ीसदी टैक्स ही जमा कराया। इस कंपनी पर 22 लाख रूपए की टैक्स वसूली निकाली गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि देश में जीएसटी लागू हुए सवा साल बीत चुका है लेकिन इस कंपनी ने अब तक 18 फ़ीसदी टैक्स नहीं भरा। खुफिया विंग ने जांच के बाद जब कच्चा पिट्टू सामने रखा तो कंपनी ने भी अपनी गलती मान ली। विभाग ने कुल 14 करोड़ रूपए और उस पर ब्याज की वसूली निकाली है। टैक्स की पाई-पाई चुकाने का आश्वासन देकर कंपनी ने पिछला आर्थिक संकट का हवाला देकर टैक्स भरने के लिए मोहलत मांगी है।

आचार संहिता लगने के बाद नारियल फोड़कर ओवर ब्रिज का लोकार्पण

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। सतना के भाजपा सांसद गणेश सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की गई है। बुधवार को उन्होंने मेरु बाईपास पर बने रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर दिया जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई है। सांसद गणेश सिंह का कहना है कि उन्होंने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। वह रेलवे का ब्रिज देखने के लिए गए थे। ब्रिज पहले ही चालू हो चुका था। उन्होंने कप्त विरोधियों द्वारा झूठी शिकायत की जा रही है। इस मामले में चुनाव आयोग ने कलेक्टर सतना से रिपोर्ट मांगी है।

चुनाव आयोग द्वारा उर्दूके अयोग्य घोषित

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। चुनाव आयोग द्वारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष दबू सिंह उर्दूके को अयोग्य घोषित कर रखा है। उन्होंने पिछले चुनाव में अपना हिसाब-किताब चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था जिसके कारण भारत निर्वाचन आयोग ने 2016 में उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने दबू सिंह उर्दूके को परसवाड़ा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसी स्थिति में जब वह चुनाव लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है और उनको टिकट दिए जाने के कारण राजनीतिक क्षेत्रों में अटकलों का दौर शुरू हो गया। इस संबंध में दबू सिंह का कहना है कि उन्होंने अपना हिसाब चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत कर दिया है। कहीं कुछ गलती है इस संबंध में उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क स्थापित किया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह लोगों को गुमराह कर रही है।

टिकट वितरण में सिधिया अलग-थलग पड़े

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए बनी स्त्रीनिर्गम कमेटी में कमलनाथएं दिग्विजय सिंह और अजय सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं टिकट वितरण की स्त्रीनिर्गम कमेटी में ज्योतिरादित्य सिधिया अकेले पड़े गए हैं। 12 अक्टूबर को स्त्रीनिर्गम कमेटी में 70 सीटों पर सिंगल नामों का एक फंल बनाना गया है। इसको केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जहां पर अंतिम निर्णय होगा। दिल्ली में टिकट के लिए सेकड़ों नेता और उनके समर्थक दिल्ली में डेरा डाल कर बैठे हुए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्त्रीनिर्गम कमेटी में अरवध सिंह के बाद भी सिधिया कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रत्याशी चयन में कमलनाथएं दिग्विजय सिंह और अजय सिंह के बीच अठ्ठे तालमेल बना हुआ है। वहीं ज्योतिरादित्य सिधिया के साथ इन तीनों का कोई तालमेल देखने को नहीं मिला। यह रिश्ता ज्योतिरादित्य सिधिया के समर्थकों का निराशा का कारण बन रहा है।

मतदान बढ़ाने के लिये सोशल मीडिया का भी उपयोग

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने बताया है कि युवा मतदाताओं के लिये चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर भी निर्वाचन संबंधी गतिविधियों को प्रचारित कर रहा है। प्रदेश में 2 करोड़ 82 लाख से अधिक 18 वर्ष से 39 वर्ष के मतदाता हैं। युवा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर क्रियाशील रहते हैं। राव ने बताया कि युवाओं की सोशल मीडिया पर क्रियाशीलता का उपयोग करने के लिये फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर पर यूट्यूब अकाउंट बनाए गए हैं। मण्डल विधानसभा चुनाव की स्वीप गतिविधियों को भी सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। राव ने बताया कि वेबसाइट पर चुनाव संबंधी गतिविधियाँ और जानकारी उपलब्ध हैं। युवा मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करने हेतु फेसबुक पर लाइव प्रसारण भी किया जायेगा। विशेषकर जय मतदाताओं को मतदान के लिये जागरूक करने के लिये वीडियोएं जिनका भी प्रसारित किया जायेगा।

ईओडब्ल्यू ने नगर निगम अधिकारी के ठिकानों पर मारी रेड

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। इंदौर नगर निगम के अधिकारी अभय सिंह राठौर के घर ईओडब्ल्यू ने गुरुवार सुबह रेड मारते हुए राठौर के पास से प्रारंभिक जांच में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा किया है। राठौर निगम में जल यंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ है। राठौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अनियमितता करने की शिकायत मिली थी। जानकारी के मुताबिक राठौर के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उन्होंने करोड़ों की बेनामी संपत्ति एकत्रित कर ली है। इसके बाद गुरुवार सुबह उनके स्क्रीन नंबर 78 स्क्रीन नंबर 94 बजरंग नगर और गुलाब बाग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान में राठौर स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट निर्माण का प्रभार देख रहे है। साथ ही वह लम्बे समय से निर्माण कार्य नियंत्रण में भी पदस्थ रहे है। कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को राठौर के घर से 15 करोड़ रूपए की संपत्ति मिली है। बताया गया है कि इंदौर नगर निगम के सफ़ई अभियान के अधिकारी ने सफ़ई के साथ करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति जुटा ली थी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार सुबह नगर निगम के अधिकारी अभय सिंह राठौर के गुरुवार सुबह उनके स्क्रीन नंबर 78 स्क्रीन नंबर 94 बजरंग नगर और गुलाब बाग

ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान में राठौर स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट निर्माण का प्रभार देख रहे है। साथ ही वह लम्बे समय से निर्माण कार्य नियंत्रण में भी पदस्थ रहे है। कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को राठौर के घर से 15 करोड़ रूपए की संपत्ति मिली है। बताया गया है कि इंदौर नगर निगम के सफ़ई अभियान के अधिकारी ने सफ़ई के साथ करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति जुटा ली थी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार सुबह नगर निगम के अधिकारी अभय सिंह राठौर के गुरुवार सुबह उनके स्क्रीन नंबर 78 स्क्रीन नंबर 94 बजरंग नगर और गुलाब बाग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। वर्तमान में राठौर स्वच्छता अभियान के तहत टॉयलेट निर्माण का प्रभार देख रहे है। साथ ही वह लम्बे समय से निर्माण कार्य नियंत्रण में भी पदस्थ रहे है। कार्रवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को राठौर के घर से 15 करोड़ रूपए की संपत्ति मिली है। बताया गया है कि इंदौर नगर निगम के सफ़ई अभियान के अधिकारी ने सफ़ई के साथ करोड़ों की अनुपातहीन संपत्ति जुटा ली थी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गुरुवार सुबह नगर निगम के अधिकारी अभय सिंह राठौर के गुरुवार सुबह उनके स्क्रीन नंबर 78 स्क्रीन नंबर 94 बजरंग नगर और गुलाब बाग

पॉश कलोनियो स्क्रीम 78 में गुलाब बाग में उनके द्वारा बेनामी संपत्ति रिश्तेदारों के नाम से ली गई? है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने सर्च की परमीशन स्पेशल जज जे पी सिंह से ली और चार डीएसपी के नेतृत्व में चार टीम बनाई जिसने गुरुवार सुबह से कार्यवाही शुरू की। टीम द्वारा कार्यवाही गुरुवार सुबह गुलाब बाग से शुरू की गई जहां राठौर खुद रहते है। यहां उनका तीन मंजिला भवन है उसके अलावा उनके तीन मंजिला भवन और हैर जिसमें और भी संपत्ती का खुलासा हो सकता है। बताया गया है कि सहायक यंत्री अभय कुमार राठौर जो कि 1995 से स्वच्छता अभियान देखते है और इंदौर की

दोस्तों के ब्यानों के बाद हो सकेगा कारणों का खुलासा

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। अयोध्या नगर में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र द्वार ब्लड प्रेशर की 170 गोलियां खाकर तबीयत बिगड़ी तो उसने अपने दोस्त को फोन पर मैसेज भेजा इसके बाद उसे पास के ही एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। जहां राहुल ने बताया कि उसने बीपी की 170 गोलियां खा ली थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे हमीदिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राहुल परिवार का इकलौता लड़का था। उसके पिता उसे पीएससी पास करवाकर बड़े पद पर नौकरी कराना चाहते थे। लेकिन वह आठ साल में इंजीनियरिंग की ही पढाई पूरी नहीं कर पाया था। बार-बार उसके पेपर पर बैक लग रहा था। जांच में सामने आया कि राहुल की छेटी बहन बुलबुल

इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दो माह पहले राहुल इंदौर में अपनी बहन के पास गया था। लेकिन बहन और भाई में क्या हुआ पता नहीं चला है। सात दिन पहले ही वह भोपाल आया और राज सम्राट कॉलोनी अयोध्या नगर में किराए के मकान में रहने लगा था। बताया गया है कि अपने कैरियर को लेकर ज्यादा सोचने के कारण उसे बीपी हो गया था। अयोध्या नगर पुलिस के अनुसार पैटर्न लॉक होने के कारण राहुल का मोबाइल नहीं खोजा गया था। जिसके लिये सायबर सेल कि मदद ली जा रही है। वही पुलिस उसके परिजनों और दोस्तों के भी ब्यान दर्ज करेगी जिसके बाद ही खुदकशी के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

आरपीएफथाना मेन लोकेशन से हटेगा

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर स्थित आरपीएफ थाने की वर्तमान में जो मेन लोकेशन है उससे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आरपीएफ थाने को वर्तमान लोकेशन से हटाया जाता है तो यहाँ बदमाशों एवं आवारा तत्वों की बाह्य हो जाएगी। यहां होने अपराधों में भी बढेत्तरी होने की पूरी संभावना है जो कि आरपीएफ और रेल प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित होगा। यदि ऐसा हुआ तो स्टेशन परिसर में घुसने वाले सदियों के लिए आवागमन और आसन हो जाएगा। क्योंकि अभी थाना प्लेटफॉर्म-1 के मुख्य एंटी के पास है जो शिफ्टिंग के बाद प्लेटफॉर्म-1 के बीना आउटर की तरफ शहीद स्मारक के पास चला जाएगा। यह लोकेशन प्लेटफॉर्म-1 की तरफ से स्टेशन परिसर में प्रवेश वाले सभी स्थानों से बिल्कुल अलग है। इसका फायदा सदियुद्ध उठा सकते है। थाने को हटाने की वजह रेल प्रशासन ने नई बिल्डिंग के निर्माण को बताया है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यह ठीक नहीं है।

बता दें कि किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-1 की तरफ आरपीएफका थाना मेन लोकेशन के आसपास ही होता है। ताकि अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सीधी नजर रखी जा सके। इसी को देखते हुए सालों पहले थाने को प्लेटफॉर्म-1 पर मुख्य एंटी के नजदीक बनाया गया था। जिसे प्रस्तावित नई बिल्डिंग के निर्माण का हवाला देकर हटाया जा रहा है। थाने को हटाने के लिए बीते सप्ताह रेलवे के अधिकारी नाप-जोक कर चुके हैं। थाने की शिफ्टिंग को लेकर आरपीएफ के अधिकारियों में अंदरूनी नाराजगी है लेकिन विभाग का मामला होने के चलते कोई भी खुलकर कुछ कहने से बच रहा है।

निरीक्षण...



भोपाल, 11 अक्टूबर। निगम आयुक्त ने अयोध्या बायपास मार्ग स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सब्जी मण्डी और कल्पना नगर तथा सोनागिरी के पार्कों की सफ़ाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने मण्डी में स्थापित किए गए कम्पोस्ट प्लांट का अवलोकन किया। निगम आयुक्त ने उक्त सब्जी मण्डी और पार्कों की सफ़ाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शर्मा सहित निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

साल भर पहले बनी सड़क के फिर हो गए टैंडर

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। नगर निगम के यांत्रिकी शाखा में तमाम अनियमितताओं के बाद भी प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कभी टैंडर में गड़बड़ी तो कभी फर्जी एस्टीमेट बनाकर बिल का भुगतान कर गड़बड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर 27 के राजीव नगर और नया बसेरा का है। यहां मुख्यालय निधि के तहत उन सड़कों के निर्माण की पहलू बनाकर टैंडर किए गए जो सड़कें एक साल पहले ही बन चुकी थीं। यही नहीं इंजीनियरों ने ठेकेदारों से साठगांठ कर 20 फीसदी काम होने के बाद ही पूरा भुगतान का बिल लेखा शाखा में भेज दिया। मामला जैसे ही स्थानीय कांग्रेसी पार्षद प्रदीप मोनु सक्सेना के संज्ञान में आया तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए। सक्सेना का आरोप है कि 50 हजार रूपए का भी काम नहीं किया गया जबकि भुगतान के लिए 14 लाख का बिल बनाकर भेजा गया। जिस काम की पहलू बनाई गई वह काम आवश्यक नहीं था। बुधवार को पार्षद सक्सेना के साथ कांग्रेसी पार्षद गुड्डू चौहान-मंजीत मारण-अशोक मारन ने निगम आयुक्त अविनाश लवानिया से इस मामले की शिकायत की। आयुक्त ने बिल भुगतान रोकने के साथ ही अधीक्षण यंत्री पीके जैन को जांच के लिए आदेश दिया है। पार्षद सक्सेना ने बताया कि आयुक्त ने कहा था कि निगम अधिकारी भरे साथ मौका मुआयना भी करेंगे। लेकिन बिना निरीक्षण के

ही जांच पूरी कर ली गई। जो सरासर गलत है। बताया जाता है कि निगम के बजट में हर विधानसभा के लिए तीन-तीन करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। इस बजट को टिकाने लगाने के लिए यांत्रिकी शाखा के अधिकारियों ने गड़बड़ी को अंजाम दिया। सितंबर महीने में हुजूर मध्य और दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में पांच-पांच करोड़ के सीएम इंफ्र के टैंडर में गड़बड़ी की गई। पहली गड़बड़ी यह थी कि टैंडर डॉक्यूमेंट में सीएम इंफ्र नहीं लिखा गया। दूसरा शर्तों में आयकर रिटर्न और वार्षिक टर्न ओवर की शर्त रखी गई लेकिन ऐसे ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया जिन्होंने दस्तावेज ही जमा नहीं किए। अपात्रों को ठेका देने के मामले में नगर निगम कांटेक्ट एक्सप्लोरेशन ने आयुक्त से शिकायत भी की थी। शिकायत के बाद दो कामों के री-टैंडर किए गए लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र गुड्डू चौहान का कहना है कि नगर निगम के यांत्रिकी शाखा में कुछ इंजीनियर फर्जी पहलू बनाकर ठेकेदारों से मिलीभगत करके जनता के पैसों को लूट रहे हैं। इस मामले की चुनाव आयोग लोकायुक्त और ईडब्ल्यूओ में शिकायत की जाएगी। आयुक्त के निर्देश के बाद अधीक्षण यंत्री पीके जैन ने बताया कि कार्यों की पहलू जोन कार्यालय से बुलवाने के बाद तत्काल चंद घंटे में ही मामले की जांच पूरी कर ली और रिपोर्ट भी आयुक्त को भेज दी गई है।

घोषणा के बावजूद नहीं मिला अन्नानगर वासियों को पट्टा

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। राजधानी के अन्नानगर वासियों को घोषणा के बावजूद पट्टे नहीं मिल पाए हैं। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2013 में घोषणा की थी कि अन्ना नगर की जमीन भेल से वापस ली जाएगी और यहां बसे लोगों को पट्टे दिलाए जाएंगे। लिहाजा इस मामले में आचार संहिता लगने से पहले 1959 का रिकॉर्ड खंगाला गया। प्रमुख सचिव राजस्व को प्रस्ताव भी बनाकर भेजा गया। लेकिन अचानक आचार संहिता लगने के कारण एक बार फिर यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मालूम हो कि भेल कारखाने की अस्तित्व में आए 60 साल हो चुके हैं। उसी समय अन्ना नगर में झुगियां बननी शुरू हुई थीं। तब से अब तक करीब 5 हजार से ज्यादा झुगियां यहां बन गई हैं। वहीं आसपास की जमीन में भी झुगियां बन चुकी हैं। विगत दिनों मंत्रालय में हुई एक बैठक में इस मामले में लंबी बहस चली। इसमें बताया गया कि पहले यहां गांव था। इन गांवों में रहने वालों लोगों से जमीन अधिग्रहित कर यह जमीन भेल को दी गई थी। लेकिन जिस प्रयोजन के लिए इस जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अगर पांच साल तक उसे पूरा नहीं किया जाता है तो यह जमीन वापस शासन के खाते में आ सकती है। ऐसा शहरी विकास अधिनियम के नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव बनाया गया। इस पर प्रमुख सचिव राजस्व ने 1959 का रिकॉर्ड निकालने के लिए कलेक्टर भोपाल सुदाम पी खांडे को निर्देश दिए। इधर तीन घंटे के अंदर रिकॉर्ड खंगाला गया और यह रिकॉर्ड राजस्व कार्यालय भेजा गया। इस पर जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने अर्बन सिलिंग एक्ट का हवाला देते हुए एक प्रस्ताव बनाकर प्रमुख सचिव राजस्व को सौंपा। इसके ठीक दूसरे ही दिन आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई। इस कारण यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बता दें कि अन्ना नगर वासियों को पट्टे वितरित करने के मामले में केंद्र शासन को विगत दिनों प्रस्ताव भी भेजा गया था जिसके जवाब में केंद्र शासन ने लिखकर दिया

था कि पीसी एक्ट के तहत राज्य शासन केंद्र शासन के नाम की गई किसी भी जमीन पर कोई हस्ताक्षर नहीं कर पाएगा। इस कारण जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इधर मामले में भू-अर्जन अधिनियम पर भी चर्चा हुई। भू-अर्जन अधिनियम में संशोधन करते हुए मंत्र सरकार ने परिवर्तित कर दिया है। नए नियमों के अनुसार जिस कार्य के लिए भू-अर्जन किया जाता है अगर वह कार्य पांच साल तक संपन्न नहीं होता है तो यह जमीन शासन के खाते में नहीं बल्कि भूमि स्वामी जिससे यह जमीन ली गई है उसके खाते में दर्ज होना चाहिए। इस असमंजस की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने इस मामले में कुछ भी करना मुनासिफ नहीं समझा। इस बारे में भोपाल जिले के कलेक्टर सुदाम पी खांडे का कहना है कि शासन ने सिर्फ हमसे रिकॉर्ड मांगा था। हमने भेल की जमीन का रिकॉर्ड उन्हें भेज दिया है। इस मामले में आगे कोई भी निर्णय शासन द्वारा ही लिया जाएगा।

डिंडोरी में पुलिस ने रोकी राम वनगमन पथ यात्रा

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। प्रदेश के डिंडोरी जिले की पुलिस द्वारा राम वन गमन पथ यात्रा को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने कारण रोक दिया है जिसका प्रदेश कांग्रेस के नेताओं द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। राम वनगमन पथ यात्रा को गत मंगलवार की रात डिंडोरी जिले की शहपुरा पुलिस द्वारा रोक दिया और यात्रा के रथ को प्रमुख ट्रस्टी पंडित हरिश्चंद्र शुक्ल द्वारा यह धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी। जब उनसे पूछा गया कि यात्रा कांग्रेस की थी या नहीं तो वे सवाल को टाल गए।

फर्नी रजिस्ट्री से एक करोड़ का लोन लेने वाले जालसाजों की तलाश जारी

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। राजधानी के अरर कॉलोनी स्थित एक महिला के प्लॉट की फर्नी रजिस्ट्री को एक निजी फर्मनेस कंपनी में बंधक रखकर एक करोड़ रूपए का लोन लेने के मामले में पुलिस तीनों शारिरो कि तलाश में जुटी है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित दो अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। हबीबनगर पुलिस के मुताबिक मिथिलेश पत्नी डीपी अग्रवाल ; 69इए 74 बंगला स्थित निशात कॉलोनी में रहती है। उनके पति आयकर सलाहकार हैं। मिथिलेश ने बीते दिना लिखित शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि मंजीत रावत नाम के व्यक्ति ने किसी कोशल्या नाम की महिला की मदद से उनके अरर कॉलोनी की लाला लाजपत राय सोसायटी स्थित प्लॉट नंबर ई.7.77 की फर्नी रजिस्ट्री करा ली। साथ ही रजिस्ट्री को इंडिया बुल्स फर्मनेस कंपनी में बंधक रखकर एक करोड़ रूपए का लोन निकाल लिया है। घटना का पता 13 जुलाई 18 को तब चलाए जब फर्मनेस कंपनी के रिक्वरी अफसर अभिनव गीते ने मकान की वसूली के बारे में बताया। इसके बाद जब पीड़िता ने उपजंजीक कार्यालय से मंजीत रावत द्वारा कराई गई रजिस्ट्री की ड्यूकैट रजिस्ट्री निकलवाई। उसमें प्लॉट के पूर्व मालिक केबी चौधरी का नाम तो था लेकिन फोटो किसी और की लगी थी। साथ ही प्लॉट की पूर्व मालिक के नाम के साथ हिन्दी में कोशल्या लिखकर हस्ताक्षर किए गए थे। मामले की पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी मंजीत रावत के पास लाला लाजपतराय सोसायटी की एनओसी भी नहीं मिली।

संधवा इलाके में कुएं में मिले पांच बच्चों के शव

भोपाल, 11 अक्टूबर (ए)। प्रदेश के संधवा अंचल के चिकली गांव में कुएं के अंदर एक ही परिवार के पांच बच्चों के शव मिलने कि सनसनीखेज घटना पुलिस ने गुरुवार सुबह मां सुंगी बाई को हिरासत में लेकर थाने लेकर पहुंची। सुत्रों के अनुसार शुक्रआती पुलिस पुछताछ में महिला ने बताया है कि पति भरत सिंह ने उससे मारपीट की थी जिसके बाद वो घर से भाग गई। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। उसके इस बयान के बाद पुलिस को आशंका है कि बच्चों की हत्या उनके पिता भरत सिंह ने की है। गौरतलब है कि

सूचना		
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनाार्थ प्रकाशित किया जाता है कि, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण संग्रहालय, जगदलपुर में दिनांक 17 अक्टूबर 2018 से टिकिट की व्यवस्था लागू किया जावेगी, जिसके साथ साथ संग्रहालय में भ्रमण दिवसों में भी परिवर्तन किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-		
भ्रमण दिवस	समय	अवकाश
मंगलवार से रविवार (6 दिन)	प्रातः 9.30 से सायं 5.30	प्रत्येक सोमवार एवं राजपत्रित अवकाश
संग्रहालय टिकिट (दिनांक.....सितम्बर, 2018 से लागू)		
भारतीय आंगतुक	₹.20/- प्रति व्यक्ति	
भारतीय छात्र/छात्रा	₹.10/- प्रति व्यक्ति	
विदेशी आंगतुक	₹.150/- प्रति व्यक्ति	
फोटोग्राफी	₹.100/- प्रति कैमरा	
विडियोग्राफी	₹.150/- प्रति कैमरा	
कार्यालय अध्यक्ष भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण उप-क्षेत्रीय केन्द्र जगदलपुर		